समाचार

नहीं पहना मास्क, किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, लगा 7900 रू. का अर्थदण्ड

(निगम के विभिन्न जोनों में की गई कार्यवाही)

कोरबा 21 अगस्त 2020 –मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने तथा नियमों का उल्लंघन करने आदि प्रकरणों पर निगम अमले द्वारा आज 21 अगस्त को अपने विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 7900 रूपये का जुर्माना लगाया गया। लोगों को हिदायत दी गई की वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बेवजह सड़क, सार्वजनिक स्थानों पर न घूमें।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके नियंत्रण की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा नियमों का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 21 अगस्त को भी निगम के विभिन्न जोनों में यह कार्यवाही की गई तथा 7900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर सतत जनजागरूकता –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत स्थित वार्डो, बस्तियों, व्यवसायिक क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, मार्गो आदि में लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा कर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन करने संबंधी जनजागरूकता का कार्य निरंतर किया जा रहा है। लोगों को समझाईश दी जा रही है कि

वे वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसका प्रसार रोकने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, घर पर ही सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले।